न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 41 / 2020 (75 एलआरए) प्रभूलाल वगै. बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00050)

1 प्रभूलाल पुत्र धन्नालाल जाति लोधा निवासी नयापुरा तहसील अकलेरा
2 हजारी लाल पुत्र धन्नालाल जाति लोधा निवासी नयापुरा तहसील अकलेरा
3 फूलचन्द पुत्र धन्नालाल जाति लोधा निवासी नयापुरा तहसील अकलेरा
4 मदनलाल पुत्र बलराम जाति लोधा निवासी नयापुरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

..... अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 18.05.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1300 / 2020

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह लववंशी

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 07.07.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1300 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1300 / 2020 पटवारी हल्का नयापुरा की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील

7/7

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

स्वंय अप्रार्थीगण को करवाई गई प्राथीगण द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया गया। तद्उपरान्त दिनांक 18.05.2020 को निर्णय पारित किया गया कि श्री प्रभूलाल, हजारीलाल, फूलचन्द पुत्र धन्नालाल जाति लोधा निवासी नयापुरा एवं मदनलाल पुत्र बलराम जाति लोधा निवासी नयापुरा द्वारा इस वर्ष सम्वंत 2077 में ग्राम नयापुरा की आराजी ख0न0 742 की 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम एव ख0न0 743 की 5 बिस्वा गै0मु0 नाला पर अतिक्रमियों द्वारा नाजायज कब्जा कर 60 फीट लम्बी व 6 ऊँची दीवार का निर्माण कर लिया है, जिससे बरसाती पानी अवरूद्ध होने से आम जन को परेशानी होगी । आराजी ख0न0 742 की 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम एव ख0न0 743 की 5 बिस्वा गै0मु0 नाला पर से अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिये जाते है साथ ही लगान का 50 गुना राशि 30 रूपये पेनल्टी कायम किया जाता है। राशि की आंक कायमी पटवारी व टी0आर0ए0 को करवाई जावे। अपीलांटस् ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील अन्दर मियाद पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2020 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस एक तरफा सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह लववंशी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 11.06.20 व 07. 05.2020 में जो नाले का निशान दिखाया गया है उसमें विरोधाभास है जबकि ख0न0 745 अपीलान्टस का खेत नही हैं। अपीलान्टस द्वारा अपनी आराजी को बरसाती पानी के कटाव से रोकने हेतु स्वंय की आराजी पर स्वंय के खर्चे से दिवार का निर्माण किया गया है ताकि प्रार्थीगण की आराजी बरसाती पानी के कटाव से बच सके अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आराजीयात का पहले सीमा ज्ञान करने के उपरान्त बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था, बिना सीमा ज्ञान करवाये पारित किये गये निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2020 अपास्त किया जावे।

5 अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। अपीलान्ट द्वारा स्वंय की खातेदारी आराजी ख0न0 742 की 2

अति० कलेक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

बीघा भूमि स्थित है जिसके पास में नोनदीराम का खेत है जिसके बीच में खेतों का पानी इकटठा होकर प्राचीन समय से नाला ख0न0 743 खाता सरकार में होकर निकल रहा है जो कि प्रार्थी की आराजी से लगवा होने के कारण प्रार्थी की आराजी का कटाव होता जा रहा है। अपीलान्ट के अधिवक्ता का उक्त तर्क सही नही है, अपीलान्ट को विवादग्रस्त दीवार का निर्माण करवाने से पूर्व स्वंय की आराजी का सीमाज्ञान कराने के उपरान्त ही दीवार का निर्माण करवाना चाहिये था।

7 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा स्वंय की आराजी का सीमाज्ञान कराये बिना ही नाले पर दीवार का निर्माण किया गया है। जिससे बरसात का पानी अवरूद्व होने से आमजन को परेशानी होगी। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष ऐसो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त दीवार का निर्माण अपीलान्ट की आराजी पर किया जाना प्रमाणित हो प्रार्थी को दीवार निर्माण करवाने से पूर्व स्वंय की आराजी का सीमाज्ञान करवा कर निर्माण कराया जाना अपेक्षित था। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2020 में हस्तक्षेप किया जा सके। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है

8 अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

7/7/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 07.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.07.07 19:24:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: